भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL NOTARIAL

NOTARY

FX 008005

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अ

समक्ष सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद लखनऊ उत्तर प्रदेश।

हम जितेन्द्र प्रताप एवं अमित यादव क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव हरिदर्शन ट्रस्ट हरिदर्शन नगर मैनपुरी।

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा अतुल फार्मेसी कॉलेज सिरसागंज रोड मैनपुरी नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023–24 से किया जाना प्रस्तावित है।

2. यह कि हमारी सोसाइटी/टस्ट के नाम लालपुर ओडण्य मण्डल पर भूमि स्थित है में गाटा सं0 1177,1178 एवं 1180, 1180 मि0 रकबा क्रमशः .045हे0, .190 हे0, .251 हे0, .404हे0 एवं (कुल रकबा 2 एकड़ हेक्टेयर) भूमि है।

3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।

4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा सं0 1177,1178,1180,1180मि0 एवं रकबा क्रमशः 2 एकड़ पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 15–10–20 द्वारा पारित किया गया है।

5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

अध्यक्ष
हरिदर्शन ट्रस्ट
हरिदर्शन नगर, मैनपुरी

सचिव
हरिदर्शन ट्रस्ट
हरिदर्शन नगर ...

6. यह कि , निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थाना का ही संचालन किया जायेगा।

8. यह कि, इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बन्ध पाठ्यक्रम एंव प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्रविधिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एंव पाठ्यक्रम के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद /विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान /विद्यालय/महाविद्यालय/आई0टी0आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालायें एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानको के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि , शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13. मैं घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एंव अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरूद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

सचिव
हरिदर्शन ट्रस्ट
हरिदर्शन नगर, मैनपुरी

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ...
जिन्होंने इस शपथ पत्र को ... मैनपुरी
बी0 एम0 मिश्रा, एडवोकेट
नोटरी
जिला मैनपुरी (उ0प्र0)

अध्यक्ष
हरिदर्शन ट्रस्ट
हरिदर्शन नगर, मैनपुरी

NOTARY
GOVT. OF U.P.
Brahma Nand Mishra
Advocate